

संख्या शिक्षा - शिमला प्रा० (2-4)ए(1)1/11- मान्यता प्राप्त - ३१५१७-१९
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला - शिमला -171004 .

दिनांक शिमला-171004 .

...../...../.....2018

सेवा में

प्रबन्धक /प्रधानाचार्य ,

D.A.V. Mahatma Anand Swami Public School, Airport Road Tutu Shimla-I1,
खण्ड शिमला-3 , जिला शिमला , हिमाचल प्रदेश 1

विषय -

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विधालय की मान्यता प्रमाण- पत्र ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्रः संख्या - शून्य दिनांक 25.02.2017 के आवेदन और विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, D.A.V. Mahatma Anand Swami Public School , Airport Road Tutu Shimla - I1 , खण्ड शिमला-3 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 01.03.2017 से 28.02.2022 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं तथा हर वर्ष हेतु क0 से 019 के अनुसार कार्यावाही करे ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विधालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है ।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपावन्ध-2) के उपावन्धों का पालन करेगा ।
3. सोसाइटी/ विधालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/ करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी/ करेगा ।
4. विधालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा-
 - (1) आयु का सबूत न होना ।
 - (11) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो , और
 - (111) धर्म , जाति या वंश , जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर ।
5. विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 - (11) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा ।
 - (111) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(पअ) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(अ) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

(अप) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ता नहीं हैं, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे ।

(अपप) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा / करेगी और

6. विधालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चायां के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अनितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| विधालय परिसर का क्षेत्रफल, | - 01 एकड़ |
| कुल निर्मित क्षेत्र, | - 2644.60 वर्ग मीटर |
| कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल , | - |
| कक्षा के कमरों की संख्या, | - 12 |

मुख्याध्यापक रवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड -डे -मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपस्करण / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पहुंच

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विधालय भवनों या अन्य अवंसरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाएँ, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर - शैक्षणिक कियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गवित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विधालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यवित्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विधालय को आंबटित मान्यता कोड संख्याक 000120 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा / उपनिदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हा.को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन ०) उपर्युक्त (11) तथा (4) में विनिर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष भौक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले विधार्थित प्रपत्र पर अपना रव-घोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 1 मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रुपये का भुलक प्रति वर्ष देय होगा ।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।

2017

पृष्ठाकांत

संख्या

दिनांक

शिमला-171004

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शिमला-3 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षक नस्ति 1

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।